*डीवी सहगल ज. के समक्ष*

विजय सिंह राव, *-याचिकाकर्ता,*

*बनाम*

हरियाणा राज्य और अन्य, - *प्रतिवादी।*

1985 की *सिविल रिट याचिका संख्या 4461*

9 जनवरी 1986

*पंजाब सिविल सेवा नियम , खंड I - नियम* 10.2 (ए) *परंतुक - हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम,* 1984 - *धारा* 20, 25 *और* 31 - *हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ के उपनियम - उपनियम* 6, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26 29, 34 और 35 - सरकारी कर्मचारी को *उसकी इच्छा के विरुद्ध हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेड राशन* (*हैफेड*) में स्थानांतरित किया गया -

1985 (2) एसएलआर 43.

10.2 (ए) *के प्रावधान के संदर्भ में स्थानांतरण न्यायसंगत होने की मांग की - हैफेड - क्या उसे पूर्ण या काफी हद तक सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्था कहा जा सकता है - ऐसे सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण - क्या वैध है।*

*निर्धारित किया गया* कि हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 की धारा 20, 25 और 31 के साथ-साथ हरियाणा के उपनियम 6, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 34 और 35 का वाचन किया गया। राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन महासंघ को इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैफेड सही मायने में एक सहकारी समिति है। उपरोक्त प्रावधानों से यह और भी स्पष्ट है कि उक्त सहकारी समिति अपने गठन में स्वतंत्र है और न तो पूरी तरह से और न ही पर्याप्त रूप से सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है। केवल यह तथ्य कि इसका प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा का सदस्य है और सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास इसके कामकाज को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां हैं, गहराई से नहीं बताता है और हेफएड पर सरकार का व्यापक नियंत्रण। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि पंजाब सिविल सेवा नियमों के नियम 10.2 (ए) का प्रावधान लागू नहीं होता है और इसका मुख्य प्रावधान इस आशय का है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ऐसे सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण उक्त नियम का उल्लंघन है और इसलिए वैध नहीं है।

(पैरा 8)

*भारत के संविधान* के अनुच्छेद 226/227 *के तहत रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि* :-

(i) *रिट याचिका को अनुमति दी जाए और, आदेश दिनांक* 3 *अगस्त* 1985 *परिशिष्ट* पी-4 *और आदेश दिनांक 9 सितंबर* 1985 *परिशिष्ट* पी-7 को *रद्द किया जाए;*

(ii) *कोई भी उपयुक्त रिट या निर्देश*, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की *परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-4 और* पी-7 को रद्द करने का आदेश *भी जारी किया जाए;*

(iii) प्रतिवादियों *को अग्रिम नोटिस जारी* करने *की शर्त मामले की तात्कालिकता को देखते हुए इसे हटाया जा सकता है;*

(iv) *वर्तमान रिट याचिका के निर्णय तक विवादित आदेशों के अनुलग्नक पीए और* पी-7 के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है।

(v) *कृपया याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।*

एडवोकेट रूप चंद और बीएस खोजी, *याचिकाकर्ता के लिए* वकील।

8. *प्रतिवादियों* की ओर से एजी हरियाणा के वकील बी आर. प्रेमी ।

**निर्णय**

*डीवी सहगल, ज.*

(1) याचिककर्ता अपने आप को हरियाणा के सहकारी विभाग में सबसे वरिष्ठ अतिरिक्त रजिस्ट्रार होने का दावा करता है। उन्हें वर्ष 1981 में केंद्रीय कृषि मंत्री, नई दिल्ली के निजी सचिव के रूप में भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। दिनांक 2 फरवरी, 1984 (अनुलग्नक पीएल) के पत्र के माध्यम से उन्हें क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर चुना गया *था*। 2 वर्ष की अवधि के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लिमिटेड (इसके बाद 'जेद इफको' के रूप में संदर्भित) के साथ प्रतिनियुक्ति पर काम करना। 18 अप्रैल, 1984 के आदेश (अनुलग्नक पी.2) *के* तहत, उन्हें भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति से वापस बुला लिया गया और चंडीगढ़ में जोनल मैनेजर (उत्तर) के रूप में नियुक्ति के लिए इफको में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया। *आदेश* दिनांक 27 अप्रैल, 1985 (अनुलग्नक पी.3) के तहत, हरियाणा राज्य, प्रतिवादी नंबर 1, ने उन्हें इफको से वापस बुला लिया और उन्हें एक अवकाश रिक्ति के विरुद्ध, सहकारी समितियों, हरियाणा, चंडीगढ़ के मुख्य

लेखा परीक्षक के रूप में तैनात किया। वह वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं। पुनः दिनांक 3 अगस्त, 1985 (अनुलग्नक पी.4) के आदेश के तहत, उन्हें हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड, चंडीगढ़ (इसके बाद 'हैफेड' के रूप में जाना जाएगा) में अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 को 12 अगस्त, 1985 को एक आवेदन पत्र (अनुलग्नक पी.5) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्हें हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया गया था। उन्होंने वित्त विभाग के 11 मई 1977 के अनुलग्नक पी.6 में दिए गए निर्देशों पर भरोसा किया और तर्क दिया कि, पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने पर, उन्होंने अभी तक मूल विभाग में दो साल पूरे नहीं किए हैं और इसलिए, प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाए। उन्होंने आगे दलील दी कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जा सकता। हालाँकि , 9 सितंबर, 1985 के आदेश (अनुलग्नक पी.7) के तहत, उन्हें मुख्य लेखा परीक्षक के पद का प्रभार छोड़ने और 3 अगस्त, 1985 (अनुलग्नक पृ.4) के आदेश के अनुपालन में हैफेड के साथ अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार संभालने का निर्देश दिया गया था। आदेशों, अनुलग्नक पी.4 और पी.7 से व्यथित होकर, उन्होंने अपने आवेदन अनुलग्नक पी 5 में उठाए गए विवाद

(2) के आधार पर, कमोबेश उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

(3) 12 सितंबर 1985 को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रिट याचिका आई । प्रस्ताव का नोटिस जारी करते हुए

(4) आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी.4 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई, जिस हद तक इसका याचिकाकर्ता पर प्रभाव पड़ा।

(5) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है। बचाव में, यह तर्क दिया गया है कि वित्त विभाग के निर्देश (अनुलग्नक पी.6) प्रकृति में प्रशासनिक हैं। आगे यह भी दावा किया गया है कि हैफेड एक निगमित निकाय है जिसका पूर्ण या काफी हद तक स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है। इसलिए पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1 (बाद में 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 1-0.2 (ए) के प्रावधान के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को उसके ईचा के खिलाफ भी अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के रूप में हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

(6) मेरे विचार में, वित्त विभाग के निर्देश (अनुलग्नक पी.6) प्रकृति में प्रशासनिक होने के कारण, कोई कानूनी और बाध्यकारी बल नहीं रखते हैं और, इस प्रकार, याचिकाकर्ता इसका समर्थन नहीं ले सकता है। हालाँकि, दूसरे विवाद पर थोड़ा विस्तार से विचार करना आवश्यक है। नियम 10.2 ए (नियमों के परंतुक के साथ) इस प्रकार है: -

"किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता:

बशर्ते कि यह उप-नियम किसी सरकारी कर्मचारी के किसी ऐसे निकाय की सेवा में स्थानांतरण पर लागू नहीं होगा, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है।"

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के दावे को गंभीरता से खारिज कर दिया है कि हैफेड पूरी तरह से या काफी हद तक प्रतिवादी नंबर 1 के स्वामित्व या नियंत्रण में है। उनके अनुसार, हैफेड एक सहकारी समिति है जो हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों द्वारा शासित है, इसकी अपनी सामान्य सभा है जिसमें इसके सदस्य शामिल हैं; इसमें कोई संदेह नहीं है, इसके पास अपने व्यवसाय को चलाने के लिए एक कार्यकारी समिति और एक निदेशक मंडल है और, बिना किसी कल्पना के, यह कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से या काफी हद तक स्वामित्व या नियंत्रण में है, प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा। इस तर्क की सराहना करने के लिए, हेफएड के उपनियमों और अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक है। उपविधि 6, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 29, 34 एवं 35

इस संबंध में प्रासंगिक है और यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"III. सदस्यता

6. फेडरेशन की सदस्यता इनके लिए खुली होगी:

(a) जिला थोक सहकारी आपूर्ति और विपणन समितियाँ।

(b) सहकारी विपणन और विपणन-सह-प्रसंस्करण समितियाँ;

(c) सहकारी कोल्ड स्टोरेज;

(d) सहकारी आपूर्ति समितियाँ;

(e) ऐसी अन्य प्रकार की सोसाइटियाँ जिन्हें रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है; और *

(f) सरकार।

(जी) नाममात्र सदस्य:

(i) फेडरेशन प्राथमिक कृषि ऋण-सह-सेवा समितियों (मिनी बैंक) और अन्य संस्थानों को, जिनके साथ उसके व्यावसायिक संबंध हैं, फेडरेशन के नाममात्र सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है।

(ii) नाममात्र सदस्य फेडरेशन की संपत्ति या मुनाफे में किसी भी रूप में किसी भी हिस्से के हकदार नहीं होंगे।

(iii) नाममात्र सदस्यों का फेडरेशन के प्रबंधन पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

(iv)नामांकित सदस्यों को प्रवेश शुल्क रुपये 5 का भुगतान करना होगा और किसी भी शेयर पूंजी का योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वी. निधि

14. फेडरेशन निम्नलिखित द्वारा धन जुटा सकता है:-

(a) प्रत्येक 500 रुपये के मूल्य पर शेयर जारी कर

(b) सरकारी, सहकारी बैंकों से और रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी से, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य से ऋण जुटाना;

(c) सदस्यों और गैर-सदस्यों से जमाराशियाँ स्वीकार करना;

(d) सरकार या अन्य संस्थानों या व्यक्तियों से अनुदान या सब्सिडी या वित्तीय सहायता की स्वीकृति।

7. प्रबंध

16. फेडरेशन के मामले निदेशक मंडल में निहित होंगे, जिसका गठन निम्नानुसार किया जाएगा; –

(i) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, या उनके

नामांकित व्यक्ति;

(ii) कृषि निदेशक या उनके नामांकित व्यक्ति;

(iii) खाद्य एवं आपूर्ति निदेशक या उनके नामांकित व्यक्ति;

(iv) फेडरेशन के प्रबंध निदेशक;

(v) शीर्ष सहकारी बैंक का एक नामित व्यक्ति;

(vi) प्रत्येक दस सदस्य सोसायटी या उसके पार्ट के लिए एक प्रतिनिधि, बशर्ते कि जिले में सोसायटी की संख्या पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक जिले के लिए एक सदस्य का न्यूनतम प्रतिनिधित्व हो।

(vii) अद्यतन संशोधित सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, हरियाणा द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य ।

18. निदेशक मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के सदस्यों में से प्रतिवर्ष किया जाएगा, बशर्ते कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा उपनियम 17 के तहत नामित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए। परंतु यह भी कि ऐसी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

19. एक निदेशक, जो किसी संबद्ध सोसायटी का सदस्य है, यदि संबंधित सोसायटी की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो वह निदेशक मंडल का सदस्य नहीं रहेगा।

21. निदेशक मंडल की छह माह में कम से कम एक बार बैठक होगी। बैठक आयोजित होने से पहले निदेशकों को बैठक की कम से कम पंद्रह दिन की सूचना दी जाएगी। बोर्ड की बैठक के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई कोरम पूरा करेंगे। अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और यदि दोनों अनुपस्थित हैं, तो बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा चुना गया सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा। प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा। जब तक इन उपनियमों में या सरकार द्वारा अधिसूचित वैधानिक नियमों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा। वोटों की गुणवत्ता के मामले में, बैठक के अध्यक्ष के पास निर्णायक वोट होगा।

निदेशक मंडल के कोई भी सात सदस्य फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को सात दिन का नोटिस देकर निदेशक मंडल की विशेष बैठक की मांग कर सकते हैं। अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर प्रबंध निदेशक फेडरेशन के मुख्यालय में निदेशक मंडल की बैठक बुलाएंगे। यदि वह 30 दिनों के भीतर एसपी करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार मांग के हस्ताक्षरकर्ताओं के आवेदन पर निदेशक मंडल की बैठक बुला सकता है। रजिस्ट्रार और/या अध्यक्ष अपने स्वयं के प्रस्ताव पर किसी भी समय निदेशक मंडल की बैठक बुला सकते हैं।

24. फेडरेशन की एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें सात निदेशक शामिल होंगे जो निम्नलिखित तरीके से गठित होंगे: -

(a) निदेशक मंडल के अध्यक्ष;

(b) निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष;

(c) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, या उनके नामांकित व्यक्ति;

(d) फेडरेशन के प्रबंध निदेशक;

(e) निदेशक मंडल द्वारा अपने शेष सदस्यों में से तीन निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।

तीन सदस्यों से कार्यकारी समिति का कोरम बनेगा और ऐसी बैठक के लिए कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में किसी मद को परिचालन के माध्यम से कार्यकारी समिति से स्वीकृत कराया जा सकता है और उसे इसकी पुष्टि के लिए अगली कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाएगा।

26. फेडरेशन के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(i) फेडरेशन अपने कर्मचारियों के लिए एक सामान्य कैडर बनाएगा, जैसा कि सामान्य कैडर को नियंत्रित करने के

नियमों में प्रदान किया जा सकता है। कैडर पर पदस्थापित पदाधिकारियों की सेवाएं सहकारी विपणन समितियों या किसी अन्य समितियों में प्रतिनियुक्ति पर उक्त नियमों में दिए गए तरीके से दी जा सकती हैं।

(ii) सामान्य कैडर नियम सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे जिन्हें रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के साथ समय-समय पर सोसायटी के निदेशक मंडल द्वारा तैयार, संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

8. सामान्य निकाय:

29. फेडरेशन के सदस्यों की आम सभा की बैठक समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए। निदेशक मंडल के निर्देशन में फेडरेशन के प्रबंध निदेशक द्वारा आम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। यदि कुल सदस्यों में से कम से कम एक-चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी बैठक की मांग निदेशक मंडल को प्राप्त होती है, तो एक सामान्य बैठक भी बुलाई जाएगी। यदि मांग की प्राप्ति पर निदेशक मंडल सामान्य बैठक बुलाने के लिए उचित समय, 30 दिनों से अधिक नहीं, के भीतर विफल रहता है, तो मांग पर हस्ताक्षरकर्ता मामले को रजिस्ट्रार को भेज सकते हैं, जो उचित समझे तो जनरल बैठक को बुला सकते हैं।

रजिस्ट्रार अपने स्वयं के प्रस्ताव पर किसी भी समय फेडरेशन की आम बैठक बुला सकता है। प्रत्येक सोसायटी का प्रतिनिधित्व सदस्य सोसायटी द्वारा विधिवत अधिकृत एक व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति सामान्य बैठक से पहले उसे नियुक्त करते हुए दस्तावेज जमा करेगा।

34. पूर्ववर्ती उपनियमों के सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सदस्यों की आम सभा के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे: -

(i) निदेशक मंडल के सदस्यों को हटाना;

(ii) वार्षिक रिपोर्ट, प्राप्तियों और संवितरण का लेखापरीक्षित विवरण, बैलेंस-शीट और लाभ और हानि खाते पर विचार;

(iii) लाभ का निपटान;

(iv) इन उपनियमों के अनुरूप फेडरेशन की अधिकतम उधार सीमा का निर्धारण, रजिस्ट्रार की मंजूरी के अधीन;

(v) फेडरेशन के साथ अन्य समान सहकारी संस्थाओं का समामेलन;

(vi) सामान्य बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी व्यवसाय का लेन-देन ।

(vii) उपविधि में संशोधन.

35. निदेशक मंडल या किसी भी निदेशक को हटाने वाली सामान्य सभा का कोई भी प्रस्ताव तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इसे सामान्य बैठक, या निर्वाचन क्षेत्र की बैठक, जैसा भी मामला हो, में बहुमत से पारित नहीं किया जाता है, जिसमें कुल संख्या में सदस्य उपस्थित का दो-तिहाई से कम नहीं होना चाहिए।

(6) अब, अधिनियम की धारा 20, 25 और 31 का संदर्भ लेना लाभ का होगा:-

"20. *सदस्यों का वोट* - सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को समिति के मामलों में एक वोट का अधिकार होगा:

बशर्ते कि:

(a) वोटों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा;

(b) किसी सहयोगी सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं होगा;

(c) जहां सरकार सहकारी समिति की सदस्य है, समिति में सरकार द्वारा नामित प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होगा;

(d) यदि कोई सदस्य सोसायटी को देय किसी भी राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति, सदस्य में कोई समाज शामिल नहीं है।

(e) समापन या परिसमापन की प्रक्रिया के तहत लाई गई कोई सोसायटी अपने **वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगी।**

(25) (1) *अंतिम प्राधिकरण और उसकी बैठकें* - एक सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकरण सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा: बशर्ते कि जहां एक सहकारी समिति के उपनियम छोटे

निकाय के गठन का प्रावधान करते हैं जिसमें शामिल हैं ऐसे उप-नियमों के अनुसार निर्वाचित या चुने गए समाज के सदस्यों के प्रतिनिधि, छोटा निकाय सामान्य निकाय की ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है या जैसा कि समाज के उप-नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद, प्रत्येक प्रतिनिधि के पास समाज के मामलों में एक वोट होगा।

(3) सहकारी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आयोजित की जाएगी-

(a) आगामी वर्ष के लिए समिति द्वारा तैयार किये गये समाज की गतिविधियों के कार्यक्रम का अनुमोदन;

(b) लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार; **या**

(c) किसी अन्य मामले पर विचार जिसे उपनियमों के अनुसार आगे लाया जा सकता है।

(31) (1) *नियुक्ति* शक्तियां, प्रबंध निदेशक के कार्य - जहां सरकार ने किसी सहकारी समिति की शेयर पूंजी में दस लाख रुपये या उससे अधिक की सीमा तक सदस्यता ली है, सरकार, उपनियमों में किसी भी बात के बावजूद, सोसायटी, धारा 29 के तहत नामित सदस्यों के अलावा एक अन्य सदस्य को नामांकित

करेगी और उसे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करेगी:

किसी सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा उपाध्यक्ष (कार्यकारी शाखा) का सदस्य या सहकारी विभाग, हरियाणा का प्रथम या द्वितीय श्रेणी का अधिकारी न हो। हरियाणा राज्य सहकारी श्रम और निर्माण फेडरेशन लिमिटेड, हरियाणा हाउसिंग एपेक्स फाइनेंस सोसायटी लिमिटेड और हरियाणा सहकारी डेयरी विकास फेडरेशन लिमिटेड के मामले को छोड़कर, जहां तकनीकी व्यक्तियों को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे उपनियमों या समिति द्वारा उसे सौंपे गए शक्तियों **के तहत सौंपी गई हैं**। वह सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा उसे सौंपे गए उपनियमों के अनुरूप ऐसे सभी कार्यों का भी निर्वहन करेगा। वह समिति के अधीक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।

(3) किसी सहकारी समिति का प्रबंध निदेशक इसका

प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा। सोसायटी के सभी कर्मचारी उसकी देखरेख और नियंत्रण में कार्य करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(7) उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि हैफेड की मेमोशिप छह श्रेणियों के संगठनों के लिए खुली है और उनमें से एक सरकार है। इसी तरह, इसके फंड रुपये 500 प्रत्येक के मूल्य के शेयरों से बने होते हैं। सरकार, सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों और अन्य से ऋण, सदस्यों और गैर-सदस्यों से जमा और सरकार या अन्य संस्थानों या व्यक्तियों से अनुदान या सब्सिडी या वित्तीय सहायता। इसमें कोई संदेह नहीं है, उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के दावे के अनुसार, सरकार ने हैफेड में दस लाख रुपये का निवेश किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राशि उसके फंड का पूरा या बड़ा हिस्सा नहीं है। इसका प्रबंधन निदेशक मंडल के पास है। निःसंदेह, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा, या उनके नामांकित व्यक्ति; कृषि निदेशक, हरियाणा, या उनके नामांकित व्यक्ति; निदेशक, खाद्य और आपूर्ति, या उनके नामांकित व्यक्ति, और एचएएफईटीएफ के प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल का गठन करने वाले कुछ सदस्य हैं, लेकिन अन्य निदेशक भी हैं, जैसे कि एपेक्स सहकारी बैंक का एक

नामांकित व्यक्ति, एक प्रत्येक दस सदस्यीय सोसायटी या उसके भाग के लिए प्रतिनिधि और सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा नामित कोई अन्य सदस्य। अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, हैफेड के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और वह भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का सदस्य है, लेकिन वह सर्वशक्तिमान नहीं है और उसे निदेशक मंडल के आदेशानुसार काम करना पड़ता है। हैफेड के सदस्यों की आम सभा के पास, अन्य शक्तियों के अलावा, निदेशक मंडल के सदस्यों को हटाने का अधिकार भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, निदेशक मंडल के निदेशक या किसी अन्य निदेशक को हटाने वाली सामान्य सभा का प्रस्ताव केवल तभी मान्य होता है, जब इसे सामान्य बैठक में बहुमत से पारित किया जाता है, जिसमें कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई से कम नहीं होते हैं। जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों द्वारा परिकल्पित है, हेफएड की बुनियादी संरचना इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि यह सही अर्थों में एक सहकारी समिति है।

इस प्रकार, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या, इसके बावजूद कि यह एक सहकारी समिति है, क्या इसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है? सहकारी समिति की स्थिति, सहकारी आंदोलन का इतिहास और इसके सिद्धांतों को *हरेंद्र नारायण बैंकर* बनाम *बिहार राज्य और अन्य* (1) मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है और उसमें निहित चर्चा के एक भाग को पुन: प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है: -

> "हालांकि, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे द्वारा पूर्वोक्त परीक्षण को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी बिस्कोमान सहकारी सिद्धांतों पर चलने वाली एक सहकारी समिति है, जो अधिनियम और बनाए गए नियमों में शामिल है। इसके तहत बिस्कोमान के उपनियम भी शामिल हैं। यूरोप और विशेष रूप से भारत में सहकारी आंदोलन और इसके सिद्धांतों का इतिहास और इसके परोपकारी उद्देश्य बहुत प्रसिद्ध हैं और इस मुद्दे पर एक विस्तृत शोध प्रबंध शुरू करना अनावश्यक है। शायद, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि सहकारी आंदोलन के जनक (जो ब्रिटिश समाजवाद

के संस्थापक भी थे) रॉबर्ट ओवेन (1771-1828) थे। उनकी मुख्य थीसिस लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए राज्य में विश्वास की कमी और पारस्परिक सहायता के सिद्धांतों के आधार पर स्वैच्छिक संघ में एक समान विश्वास और आशा थी। उन्होंने सहयोग की अवधारणा को नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के आधार के रूप में पेश किया और उनका आंदोलन लोगों की स्वतंत्र पसंद और लोकतांत्रिक प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित था। यह आंदोलन पश्चिम के सभी लोकतांत्रिक देशों में फैल गया और विशेष रूप से इंग्लैंड में रोशडेल पायनियर्स ने पहली बार 1834 में स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के लिए अपने प्रसिद्ध समतामूलक समाज की स्थापना की। रोशडेल पायनियर्स द्वारा प्रस्तुत सहयोग के अंतर्निहित सिद्धांतों में स्वैच्छिक संघ, डेमोक्रेटिक प्रबंधन, स्वयं सहायता, पारस्परिक सहायता और कोई लाभ उद्देश्य आदि शामिल थे। इस संक्षिप्त, यूरोप में आंदोलन के विकास की रूपरेखा के साथ, अब कोई भी हो सकता है अपने देश में सहकारी आंदोलन की ओर रुख करें।

संविधान लागू होने से बहुत पहले, सहकारी आंदोलन को केंद्रीय सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1912 द्वारा विनियमित और शासित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित का संकेत देंगे कि भारत में सहकारी आंदोलन था, उस क़ानून का निर्माण जिसका मुख्य उद्देश्य है इसके तहत सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप पंजीकृत सोसायटी के सदस्यों आर्थिक के हितों को बढ़ावा देना। हालाँकि इन सहकारी समितियों की कल्पना लोकतांत्रिक निकायों के रूप में की गई थी, फिर भी इन पर बहुत अधिक नियंत्रण था। यह भारत में समय-समय पर को-आपरेटिव मूवमेंट के विकास से प्रतीत होता है: इसे कुछ हद तक सरकार द्वारा शुरू किया गया है और राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर पोषित और निर्देशित किया गया है। बाद में, जब सहकारिता राज्य का विषय बन गई, तो केंद्रीय अधिनियम का अनुसरण विभिन्न राज्य अधिनियमों द्वारा किया गया, हमारे अपने, क्रमशः, बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम, 1935।

अब, इस अधिनियम का पूरा दायरा और उसके तहत बनाए गए

नियम और साथ ही सहकारी समितियों (भकोमौन सहित) के मॉडल ये होंगे कि अंतिम विश्लेषण में यह किस पर आधारित है, सहयोग के विभिन्न सिद्धांतों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा संहिताबद्ध और कानूनी रूप देने की मांग की गई है। सहयोग आंदोलन के ताने-बाने के माध्यम से चलने वाला सुनहरा जाल लोकतांत्रिक प्रबंधन के माध्यम से स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता और लाभ के उद्देश्य से सचेत रूप से बचने का है। लोकतांत्रिक प्रबंधन के क्षेत्र में इस अवधारणा की पहचान मूलभूत आधार पर केंद्रित प्रतीत होती है कि सहकारी समिति का एक सदस्य आमतौर पर बिल्कुल शांत होना चाहिए। एक दूसरे के लिए मान्य और उनमें से प्रत्येक के पास केवल एक वोट होना चाहिए। शीर्ष निकायों के मामले में जिनके सदस्य सहकारी समितियाँ हैं, इस नियम से कुछ मामूली विचलन अपरिहार्य है। यह सिद्धांत वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रबंधन के सामान्य नियमों और कंपनी कानून के बिल्कुल विपरीत है, जहां आम तौर पर, यदि अनिवार्य रूप से नहीं, तो अंतिम मतदान शक्ति शेयरधारिता की मात्रा से संबंधित होती है। इसलिए सहयोग के क्षेत्र में, वित्तीय शेयरधारिता एक पूरी तरह से अलग आधार है और अपने आप में किसी भी तरह से **निर्णायक** या नियंत्रित करने वाली विशेषता नहीं है। दूसरी ओर, **यह तब तक ठीक है जब तक कि** विशुद्ध रूप से

व्यावसायिक और वाणिज्यिक **संगठन** पूरी तरह से लाभ के लिए प्रेरित नहीं होते। यहीं सहकारी समिति के बीच अंतर की स्पष्ट रेखा अंकित होती है जो सहयोग के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर आधारित है।"

(8) इसलिए, मेरा विचार है कि हैफेड, एक सहकारी समिति, अपने संविधान में स्वतंत्र है और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा न तो पूरी तरह से, न ही पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रित है। केवल तथ्य यह है कि इसका प्रबंध निदेशक इसका सदस्य है भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा की और सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास इसके कामकाज को विनियमित करने के लिए कुछ शक्तियां हैं, यह प्रतिवादी नंबर 1 को गहरा और व्यापक नियंत्रण नहीं देता है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत है कि नियमों के नियम 10.2 का प्रावधान लागू नहीं है और इसका मुख्य प्रावधान इस आशय का है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विदेशी सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, वर्तमान मामले में आकर्षित होगा। माना जाता है कि याचिकाकर्ता को उसकी इच्छा के विरुद्ध अतिरिक्त प्रबंध निदेशक के रूप में हैफेड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। यह निश्चित रूप से उक्त

नियम का उल्लंघन है और इसलिए, विवादित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है ।

(9) प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि अतिरिक्त प्रबंध निदेशक उन सभी कर्तव्यों और कार्यों को करते हैं जिन्हें हैफेड के प्रबंध निदेशक को पूरा करना आवश्यक है। उनके अनुसार, चूंकि प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की शक्ति सरकार में निहित है, इसलिए अतिरिक्त प्रबंध निदेशक को भी हैफेड की मांग के बिना भी सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। मुझे इस विवाद में कोई दम नजर नहीं आता। किसी सहकारी समिति के प्रबंध निदेशक के रूप में सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा या हरियाणा सिविल सेवा के सदस्य की नियुक्ति अधिनियम की धारा 31 में निहित वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होती है। किसी सहकारी समिति के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक और, इस मामले में, हेफएड के एक अतिरिक्त प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार को अधिकार देने वाला कोई समान प्रावधान नहीं है। विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि, 'अनुलग्नक पी. 4 के अनुसार, याचिकाकर्ता को केवल एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया गया है और इस न्यायालय को स्थानांतरण के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो पूरी तरह से

सरकार का एक प्रशासनिक कार्य है। इस विवाद में फिर से कोई तर्क नहीं है। अनुलग्नक पी. 4 यह स्पष्ट करता है कि प्रस्तावकर्ता को डेप्यूटेशन पर भेजा जा रहा है; और चूंकि याचिका कर्ता विदेश सेवा पर जाने के लिए ईछुक नहीं था, इसीलिए यह आदेश धारा 10.2 का उल्लंघन कर रहा है।

(10) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है, आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी. 4 और पी. 7, दिनांक 3 अगस्त, 1985 और 9 सितम्बर, 1985 क्रमश को रद्द किया जाता है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

***अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।***

***रीतिका शर्मा***
***प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी***
***(Trainee Judicial Officer)***
***करनाल, हरियाणा***